



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail- cepwd@uk.gov.in

पत्रांक:- 993/63 व्यघ-सा0-मान0/16
सेवा में,

दिनांक 11/10/2022

समस्त मुख्य अभियन्ता

(क्षेत्रीय कार्यालय/रा0मा0/ए0डी0बी0/ पी0एम0जी0एस0वाई0/वर्ल्ड बैंक)

लोक निर्माण विभाग,.....।

विषय:- मानचित्रकार के पद पर पदोन्नति हेतु चयन चार्ट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 440/111(1)/15-62 (अधि0)/2006 दिनांक 27.07.2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड रेखाकार/ मानचित्रकार अधिष्ठान सेवा (लोक निर्माण विभाग) नियमावली, 2015 के भाग-3 (भर्ती का स्रोत) 5(एक) (ख) में निम्न प्राविधान है :-

ऐसे स्थाई अनुरेखकों (ट्रेसर/रेखाकार) में से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने इस रूप में अस्थाई सेवा समेत कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो और जो मानचित्रकार के पद के लिये विहित अपेक्षित अर्हताएं रखते हों;

परन्तु अपेक्षित संख्या में अनुरेखक प्राप्त न होने की दशा में मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई अमीन/मेट/बेलदार/अनुसेवक में से जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा की हो और जो मानचित्रकार के पद के लिये विहित अर्हताएं रखते हों, पदोन्नति द्वारा।

परन्तु मानचित्रकार के पद पर भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि संवर्ग में यथास्थिति 10 प्रतिशत पद प्रोन्नत व्यक्तियों द्वारा और शेष सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

परन्तु यह कि यदि, किसी वर्ष में मानचित्रकार के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

लोक निर्माण अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक- 1182/111(1)/19-62(अधि0)/06 दिनांक 17.09.2019 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड रेखाकार/ मानचित्रकार अधिष्ठान सेवा (लोक निर्माण विभाग) नियमावली, 2015 के भाग-3 भर्ती का स्रोत नियम-5(एक) (ख) (3) में अमीन/मेट/बेलदार/अनुसेवक के साथ-साथ वर्क एजेण्ट के पद धारकों को भी मानचित्रकार के पद पर पदोन्नति हेतु सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्त नियमावली 2015 एवं शासनादेश दिनांक 17.09.2019 के अनुसार मानचित्रकार के पद पर पदोन्नति हेतु रेखाकार उपलब्ध न होने की दशा में उक्त नियमावली एवं शासनादेश में वर्णित अन्य पदों के कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ समान रूप से प्रदान किये जाने हेतु मानचित्रकार के पदोन्नति कुल 11 पदों की फांट इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 702/63 व्यघ-सामान्य-मान0/16 दिनांक 14.09.2020 द्वारा की गयी है, जो कि विभागीय वेबसाईट में भी उपलब्ध है

वर्तमान में 08 पद मानचित्रकार के पदोन्नति हेतु रिक्त है। पदोन्नति हेतु रिक्त पदों के सापेक्ष वर्तमान में अनुरेखक के पद पर पात्र कार्मिक उपलब्ध न होने की दशा में अमीन/मेट/ बेलदार/अनुसेवक /वर्क एजेण्ट के पद पर कार्यरत ऐसे कार्मिक जो उपरोक्त सेवा नियमावली के अनुरूप विहित अर्हता रखते हों के चयन चार्ट मय शैक्षिक योग्यता:-

(क) उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा और

(ख) निम्नलिखित में से कोई परीक्षा या पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने का प्रमाण- पत्र

(1) प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थान से मानचित्रकार का डिप्लोमा अथवा उत्तराखण्ड अथवा अन्य राज्य में स्थित एवं मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से उसके समकक्ष डिप्लोमा अथवा

(2) प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मानचित्रकार का डिप्लोमा अथवा उत्तराखण्ड या अन्य राज्य में स्थित एवं मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से उसके समकक्ष डिप्लोमा या

(3) विधि द्वारा स्थापित भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त मानचित्रकार का डिप्लोमा या समकक्षीय उपाधि।

कमश:- 02 पर

सहित निम्न प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना है:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	खण्ड का नाम	जन्मतिथि	जाति	विभाग में नियमित नियुक्ति की तिथि एवं पदनाम	स्थाई/अस्थाई	संवर्ग में ज्येष्ठता क्रमांक	शैक्षिक अर्हताओं का विवरण	विगत 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं का सार	सत्यानिष्ठा प्रमाणित है कि नहीं	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

अतः प्रकरण पूर्ण विवरण सहित 15 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे, यदि किसी पद (अमीन/मेट/बेलदार/अनुसेवक/वर्क एजेण्ट) पर आपके क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे कार्मिक उपलब्ध ना हो तो भी तदनुसार इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से अवगत करायें। उक्त सूचना अधीनस्थ कार्यालयों में सम्बन्धित संवर्ग के समस्त कार्मिकों के मध्य व्यापक रूप से प्रसारित की जाये।

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
3. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

10/11/22
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)